राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/ 1258 दिनांकः 27-01-2022

आदेश संख्याः 67/2021–22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963,के नियम 29(2ए)के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की रिक्तियों पर विचार हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 की अभिशंषा के आधार पर श्री मनोज कुमार मीणा (जन्म दिनांक 06.05.1981) मेरिट नम्बर 51/2008, (लिंक नम्बर 9160) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर (विचाराधीन मुकदमा 143/05 के अन्तर्गत दर्ज होने के हलफनामें के आधार पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्ययधीन एवं उप महानिरीक्षक सी.आई.डी (सुरक्षा) के चरित्र सत्यापन की शर्त पर) किंया गया था।

न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–22, जयपुर महानगर द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या–383/05 (एफ.आई.आर. संख्या 143/05) के निर्णय दिनांक 13.06.2013 में श्री मीणा को दोषमुक्त घोषित किया जाने एवं राज्य विशेष शाखा, सीआईडी (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 02.08.2021 द्वारा पदाभिलाषी के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के आधार पर, इनको पदोन्नति पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पद के लेवल L-12 में दिनांक 01.04.2018 से स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पद पर इस पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार (सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड I) क्रमोन्नत/कमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।
उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(15) वित्त/राजस्व/10 जयपुर, दिनांक 14.08.2018 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/ 1258 दिनांकः 27-01-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.............
4. श्री .... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय ....को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
7. अलेसे–II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)